न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO) भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 61 / 21 (लिखित प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2021 / 513

1. श्रीमती देवली पत्नी श्री नारायण जी मीणा निवासी फतपुरा अमरपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
2. श्रीमती लोगरी पत्नी श्री कालु जी मीणा निवासी फतपुरा अमरपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।

………… प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारायण पिता श्री रकबा जी मीणा निवासी फतपुरा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
2. श्री रामा पिता श्री देवा जी मीणा निवासी फतपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
3. श्री ऊंकार पिता देवाजी मीणा निवासी फतहपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
4. श्री कालु पिता श्री देवा जी मीणा निवासी फतपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
5. श्री माना पिता श्री खरता जी मीणा निवासी फतपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
6. श्री रामला पिता श्री खरता जी मीणा निवासी फतपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
7. श्रीमती रतनीबाई पत्नी श्री तेजपाल मीणा निवासी खुमाणसिंह जी का खेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
8. श्री रामजी पिता श्री हरजी मीणा निवासी खुमाणसिंह जी का खेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
9. श्रीमती कंचन कुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह (सारंगदेवोत) निवासी खुमाण सिंह जी का खेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
10. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर राज.।

………… विपक्षीगण

उपस्थित :

1. श्री कैलाश चन्द्र खारिवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कैलाश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :—03.04.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि फतपुरा पटवार हल्का अमरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानोड तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड में स्थित खाता संख्या नया 34 में अंकित आराजी न. 141 / 136 रकबा 5 बीघा जो राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयात के पडौस मे विपक्षीगण के खातेदारी जमीन जो खाता संख्या 13 में स्थित आराजी न. 99 रकबा 6 बिस्वा, आ.न. 125 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आ.न. 126 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आ.न. 1 बीघा 11 बिस्वा, आ.न. 130 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, आ.न. 131 रकबा 18 बिस्वा, आ.न. 132 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आ.न. 133 रकबा 12 बिस्वा, आ.न. 134 / 1 रकबा 14 बिघा 10 बिस्वा, आ.न. 135 रकबा 0.19 व इसी तरह खाता संख्या 20 में स्थित आराजी न. 146 / 136 रकबा 3 बिघा व खाता संख्या 21 में आ.न. 142 / 136 में रकबा 5 बिघा व खाता संख्या 22 में स्थित आराजी न. 140 / 136 रकबा 17 बिस्वा व खाता संख्या 3 में स्थित आराजी न. 147 / 136 रकबा 1 बिघा 3 बिस्वा स्थित है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण में आये दिन विवाद रहता हैं। प्रार्थीगण भूमि के चारो और पक्की [illegible] चाहता हैं जिससे आराजी न. 141 / 136 रकबा 5 बिघा की पत्थरगढी की जाने [illegible] किया।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस [illegible] गया। प्रकरण में विपक्षी 1, 7, 8, 9 के अपुनरिथत रहने पर इनके विरूद्ध [illegible] विपक्षी संख्या 4 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति [illegible] जताई। [illegible] में विपक्षी संख्या 10 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण में विपक्षी [illegible], 6 रामला [illegible] ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त [illegible] फतहपुरा पटवार [illegible] अमरपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

में स्थित आराजी न 141/136 रकबा 05 बीघा (जागीर) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज में स्थित आराजी न 141/136 रकबा 05 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख मे प्रार्थीगण के नाम पर पुरी तरह से गलत अंकित है। उपरोक्त आराजी में विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6 आधिपत्यधारी होकर कानूनन खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आराजी में विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है पास की जमीन भी विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6 प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कभी भी कुलिया जमीन मौके पर एक नक की हुई है। एवं न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का किसी भी प्रकार से किसी प्रकार से आधिपत्य नहीं रहा है एवं न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का किसी भी प्रकार से उपयोग किया गया है।

3 यह कि आराजी न 141/136 रकबा 05 बिघा भूमि में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा अधिकार आधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नही है न कभी रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी की नपती करा कर पत्थरगढी कराने के अधिकारी नहीं हैं। आराजी न 141/136 रकबा बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6 का कई वर्षो से लगातार निरन्तर निराबाध रूप से पुख्ता कब्जा आज दिन तक चला आ रहा है एवं इस आराजी में विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6 के निवास के मकानात बने हुए है व खेती करते है उपरोक्त आराजी के विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6 आधिपत्यधारी होकर कानूनन खातेदार काश्तकार है जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को भी अच्छी तरह है। विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6 को अवैध रूप से बेदखल करने की नीयत से पूर्व मे भी एक झूठा फौजदारी प्रकरण संख्या 236/2015 माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानोड के न्यायायल मे अन्तर्गत धारा 143, 447, 379, 506 भ.द.सं. के तहत विपक्षी के विरूद्ध दर्ज करवाया।

4. यह कि प्रार्थीगण की ओर से दर्ज करवाये गये उपरोक्त फौजदारी प्रकरण में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट कानोड न्यायालय में प्रार्थीगण के बयान हुए, जिसमें भी प्रार्थीगण ने अपने बयानों मे इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी न. 141/136 रकबा 05 बीघा भूमि में विपक्षी का ही कब्जा है यह बात सही है कि हमेरा के समय से ही विपक्षी का जमीन पर कब्जा है, फसल नुकसान की रिपोर्ट विपक्षी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध दी है। माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानोड न्यायालय द्वारा उपरोक्त फौजदारी प्रकरण में दिनांक 09.01.2017 को निर्णय पारित फरमाया गया एवं विपक्षी को दौष मुक्त घोषित किये गये एवं गवाहों के बयानों से माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी न 141/136 रकबा 05 बिघा जमीन पर विपक्षी रह रहे है, उस पर विपक्षी के मकान बने हुए है जिन्हें बने हुए बीस–पच्चीस वर्षो से विपक्षी के कब्जे में है साथ ही माननीय न्यायालय ने निर्णय में यह भी अंकित किया कि इस बात की संभावना प्रतीत होती है कि प्रार्थीगण ने जमीन पर कब्जा करने के लिए विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा कराया है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार है जमाबंदी सवंत् 2070–73 से स्पष्ट है विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6 द्वारा अपने जवाब में बताया कि उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि आ.न. 141/136 रकबा 5 बिघा भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं हैं। उक्त आराजीयात पर हम विपक्षी के मकानात बने हुये है तथा बताया कि उक्त संबंध में एक फौजदारी प्रकरण माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानोड के समक्ष विचाराधीन होकर निर्णित दिनांक 09.01.2017 को हुआ जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया की आराजी न. 141/136 रकबा 5 बिघा भूमि पर विपक्षी रह रहें है तथा विपक्षी के मकान बने हुये है जो विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानोड के प्रकरण संख्या 236/2015 के निर्णय दिनांक 09.01.2017 की प्रति से स्पष्ट हैं जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है की विवादित जमीन 20–25 वर्षो से अभियुक्तगण के कब्जे में हैं।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है जिससे पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested